दिनांक	आज्ञा पत्र	
13.12.2017	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु पेश प्रार्थी/रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-5-17 राजस्व लोक अदालत कैम्प राणासर में दावा पक्षकारों की सहमति से निर्णित किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली पर अपीलान्ट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता पर किसी प्रकार के कोई आरोप भी नहीं लगाये हैं ।बहस सुनी जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर किया जाना दर्ज है। इस बाबत भी अपीलान्ट ने अपील में कोई ऐतराज नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि योग्य अदालत मातहत में पक्षकारों की सहमति से आदेश पारित किया है । जिसकी अपील माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे । विद्वान वकील अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आदेश दिनांक 17-5-17 अपीलान्ट की बिना सहमति के पारित किया गया है इस कारण यह तथ्य अपीलान्ट पर लागू नहीं होता है । अपीलान्ट के वकील ने वकील ने अदालत मातहत की पत्रावली पर हस्ताक्षर किये है तो वो हस्ताक्षर अपीलान्ट की बिना सहमति व जानकारी में किये है अपीलान्ट ने अपील में यह तथ्य दर्ज किये हैं । तथा अधिवक्ता पर आरोप लगाये हैं । अदालत मातहत का निर्णय अपीलान्ट की बिना सहमति के पारित किया	

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	आदेशिका में विभाजन प्रस्ताव के वाद डिक्री करने में सहमति दी है । सहमति के आदेशिका पर अभिभाषकगण के हस्ताक्षर है । बहस बगौर समाहत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 17-5-2017 में पैरा संख्या-2 में पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की है । धारा-96(3)सीपीसी में "पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी ।" इस धारा में दर्ज सहमति की अपील न्यायालय में पोषणीय नहीं है ।यह स्पष्ट है । अदालत मातहत ने सहमति के आधार पर आदेश पारित किया है ।अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आपत्ति अन्तर्गत धारा-107 सपठित धारा-96(3) सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील पोषणीय नहीं होने पर खारिज की जाती है पत्रावली नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया । 13/11/17 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	